# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य / बजट / बी–1 / पीईईओ / 2017–18 / 28-29 दिनांक 01/02/2018

प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य,
रा.मा. / उ.मा.वि कम पदेन पी.ई.ई.ओ
..............................

विषयः–प्रारंभिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों / शैक्षणिक कार्मिकों का वेतन / मानदेय ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य, रा.मा. / उ.मा. वि को दिये जाने के क्रम में।

विषयान्तर्गत शासन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों / शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन / मानदेय आहरण के अधिकार ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य, रा.मा. / उ.मा.वि को दिय गये है। नवीन व्यवस्था के सुगम क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देश प्रदत्त किये जाते है जिनकी पालना आवश्यक रूप से की जावें।

1- शाला दर्शन के पी.ई.ई.ओ. लॉगिन में विद्यालयवार लेखामदवार पद आवंटित किये गये है। उसी के अनुरूप पद आवंटन मान्य होगा।

2- स्वीकृत पद एवं कार्यरत शिक्षको / शैक्षणिक कार्मिकों के नाम के सम्मुख लेखामद अंकित है। संबंधित शिक्षक के नाम के सामने अंकित लेखामद से ही वेतन आहरित किया जावें।

3- कोषालय में प्रेषित किये जाने वाले संवेतन के विपत्र के साथ शाला दर्शन पोर्टल में लेखामदवार आवंटित पद की रिपोर्ट आवश्यक रूप से संलग्न की जावें।

4- लेखामद 2202–01–197–14–01 (राज्य निधि) एवं 2202–01–197–15–01 (राज्य निधि) पंचायत राज (पी.डी.खाता) से संबंधित है। इनका भुगतान बी.ई.ई.ओ. के पी.डी. खाते से pripaymanager मॉड्यूल द्वारा आहरित किया जाता है। इन लेखामदों में वित्त विभाग द्वारा कोषालय के माध्यम से बी.ई.ई.ओ. के पी.डी. खाते में राशि हस्तान्तरित की जाती है। इसलिए अलग से बजट आवंटन पी.ई.ई.ओ. को नही किया जाएगा।

5- जिन पी.ई.ई.ओ. को शाला दर्शन पोर्टल पर इन लेखामदों में पद आवंटित हो उनके द्वारा इन लेखामदों में विपत्र pripaymanager मॉड्यूल में SUB DDO विकल्प में बना कर संबंधित बी.ई.ई.ओ. के माध्यम से कोष / उपकोष कार्यालयों को प्रेषित किये जाएगें।

6- Pripaymanager मॉड्यूल में SUB DDO CREAT का विकल्प बी.ई.ई.ओ. के लॉगिन में उपलब्ध है। अतः बी.ई.ई.ओं. कार्यालय से सब डी.डी.ओ. लॉगिन आई.डी. प्राप्त कर ले। पी.ई.ई.ओं. के लिए इसका पासवर्ड Nic123 होगा।

7- बी.ई.ई.ओं. कार्यालयों से प्राप्त सूचना अनुसार अधिकांश पी.ई.ई.ओ. का राज्य निधि के विभिन्न लेखामदों में राशि आवंटन किया जा चुका है।

8- समस्त पी.ई.ई.ओ. आई.एफ.एम.एस. में शाला दर्शन पोर्टल में आवंटित लेखामद अनुसार बजट आवंटन की स्थिति जांच ले, यदि किसी पी.ई.ई.ओ. कार्यालय का बजट आवंटन नहीं हुआ है तो **"शाला दर्पण पोर्टल"** पर उपलब्ध नवीन विकल्प में अपनी मांग प्रस्तुत करें।

9- किसी शिक्षक के पिछली अवधि का एरियर तथा वेतन आदि के बकाया होने पर उसका भुगतान पी.ई.ई.ओ. द्वारा किया जाएगा।

10- समस्त पी.ई.ई.ओ. प्रति माह समय पर वेतन आहरण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।

2- निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।

3- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

4- कोषाधिकारी, कोष/उपकोष कार्यालय समस्त।

5- ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी समस्त।

6- रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार